संख्या-48/2015/2253 सी0डी0/46-3-15-1000(42)/2015

प्रेषक

सुबोध कुमार श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी,
सहारनपुर, मुजफफरनगर, शामली, मेरठ, बिजनौर,
अमरोहा, सम्भल, पीलीभीत, बदायूँ, शाहजहाँपुर, लखीमपुर,
सीतापुर, हरदोई, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, बस्ती।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 22 सितम्बर, 2015

विषय- **शासनादेश संख्या-43/2015/1626सी0डी0/46-3-15-1000(42)/2013, दिनांक 31.07.2015 का संशोधन/शुद्धि-पत्र।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य (जिला योजना) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-83(एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत आयोजनागत/ एस0सी0एस0पी0 मद में प्राविधानित धनराशि रु0-21,00,00,00 के सापेक्ष रू0 26,93,60,700/- (रू0 छब्बीस करोड तिरानबे लाख् साठ हजार सात सौ मात्र) की कार्ययोजना का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-83 (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत, योजना हेतु निर्धारित फण्डिंग पैटर्न 80:20 के अनुसार, शासकीय अंशदान के रूप में उपलब्ध बजट प्राविधान रू0 21,00,00,000/- (रू0 इक्कीस करोड मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-143/2015/1626सी0डी0/46-3-15-1000(42)/2013, दिनांक 31.07.2015 के द्वारा निर्गत की गयी है, जिसके प्रस्तर-9 में अंकित लेखा शीर्षक में **"अनुदान संख्या-83"** के स्थान पर लिपिकीय/टंकण त्रुटिवश **"अनुदान संख्या-23"** अंकित हो गया है।

2- अतः उपरोक्त लिपिकीय/टंकण त्रुटि को इस शुद्धि-पत्र के माध्यम से निवारित करते हुए यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त वित्तीय स्वीकृति विषयक **शासनादेश संख्या-43/2015/1626सी0डी0/46-3-15-1000(42)/2013, दिनांक 31.07.2015 के प्रस्तर-9 में अंकित लेखा शीर्षक में "अनुदान संख्या-23" के स्थान पर "अनुदान संख्या-83"** पढ़ा जाय। तदनुसार उक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव ।

-------2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-48/2015/2253(1)सी0डी0/46-3-15-1000(42)/2015-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार, (लेखा हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच,अलीगंज, लखनऊ।
4- प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन
5- गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
7- संबंधित जनपदों के मण्डलायुक्त।
8- संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।
9- संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।
10- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
11- संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।
12- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2,
13- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1,
14- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/ कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण् विभाग,
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।